प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक – 17.02.2026

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा गुम हुए चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द-

दिनांक 16/02/2026 की रात्रि थाना खोड़ारे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम ढढुआ कुतुबजोत के चार नाबालिग बच्चे (उम्र लगभग 6 वर्ष से 10 वर्ष) गाँव के बाहर खेलते समय घर वापस नहीं लौटे। सूचना प्राप्त होते ही थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल खोजबीन प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के द्वारा पुलिस की कई टीमों का गठन कर परिजनों के साथ पूरी रात सघन तलाश अभियान चलाया गया। कुछ ग्रामीणों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि मंदिर के समीप स्थित तालाब के पास बच्चे खेल रहे थे। उक्त सूचना पर देर रात्रि ही एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ टीम द्वारा पंपिंग सेट की सहायता से तालाब का पानी काफी हद तक खाली कराया गया तथा पूरी रात सर्च अभियान चलाया गया। सौभाग्यवश बच्चे तालाब में नहीं पाए गए।
प्रातःकाल पुलिस टीमों द्वारा पुनः व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की निगरानी में चलाए गए अभियान के दौरान चारों बच्चे गाँव के समीप सरसों के खेत में सोते हुए सकुशल पाए गए। पुलिस टीम द्वारा तत्काल उन्हें बरामद कर सीएचसी-गौरा में चिकित्सीय परीक्षण हेतु ले जाया गया, जहाँ सभी बच्चे पूर्णतः स्वस्थ पाए गए। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उनमें सबसे बड़ा लड़का (उम्र लगभग 10 वर्ष) किसी शरारत के कारण घर जाने से बचने हेतु भयवश रात्रि में घर न लौटने का सोचकर अन्य छोटे बच्चों को भी अपने साथ ले गया था। पूर्व में भी उक्त बालक का घर से बिना बताए चले जाने का व्यवहार प्रकाश में आया है। थाना खोड़ारे पुलिस की त्वरित एवं सतत् कार्यवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप चारों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर सीएचसी गौरा में स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात परिजनों को सुपुर्द किया गया। बरामद बच्चों के संबंध में परिजनों की आवश्यक काउंसिलिंग भी की गई है।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 17.02.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना कर्नलगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ितो के फ्रॉड किये गये 48,148/- रुपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितो के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितो ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना कर्नलगंज साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 48,148/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक 1. श्री विनोद जायसवाल नि0 अहिरौरा द्वारा 38,958/- रुपये व 2. सूरज श्रीवास्तव नि0 कुतुबपुर द्वारा 9,190 रुपये कुल 48,148/- रुपये फ्रॉड हो जाने के संबध में शिकायकर्ता द्वारा आनलाइन शिकायत की गई थी । जिसपर थाना कर्नलगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित की 48,148/- रु0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रुपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना कर्नलगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.02.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा फोटो वायरल कर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 0127/2026 धारा 69, 351 (3) भा0 न्याय संहिता व 66-E आईटी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त- राजित राम पुत्र मयाराम निवासी परसा सोहसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को मोहल्ला उपरहितन पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2026 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गई कि राजित राम पुत्र मयाराम निवासी परसा सोहसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा उसके फोटो अपलोड कर अभद्र/अपमानजनक बातें लिखकर वादिनी व उसके परिवार वालों को भेज कर बदनाम किया जा रहा है, और धमकी देता है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त- राजित राम पुत्र मयाराम निवासी परसा सोहसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को मोहल्ला उपरहितन पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजित राम पुत्र मयाराम निवासी परसा सोहसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 0127/2026 धारा 69, 351 (3) भा0 न्याय संहिता व 66-E आईटी एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अति० प्र० निरीक्षक सभाजीत सिंह
02. कां० दीपक कुमार प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।